डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1462 **New Delhi: 26.12.2022**

श्री दीपनारायण पाल
पूर्व जिला संयोजक
सूचना का अधिकार ट्रास्क फोर्स
निवासी शहनगरा पो पाता
जिला औरैया, उत्तर प्रदेश-206241
मोबाइल-8439772110

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 26.11.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/OBJ(AU)/Y/22/M(12) Dated: 23.12.2022

सेवा में,

समूह महाप्रबंधक / एल0ए0 / सेमू0
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
नई दिल्ली।

विषयः–जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मॉगी गई जानकारी के सम्बंध में।

सन्दर्भः–2021 / एच0क्यू0 / एडमिन / आर0टी0आई0–1482 दिनांक 01.12.2022

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित विषय में आपको अवगत करना है कि प्रार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गई जानकारी चाही गई है, जिसमें प्रार्थी द्वारा कई बिन्दुओ पर पर बिन्दुवार जानकारी चाही गई है, जो निम्नलिखित हैं–

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यालय जिलाधिकारी औरेया के पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 2020 में यह ओदशित किया गया था। जिस पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.01.2021 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय जनपद औरया उ0प्र0 को उपरोक्त प्रकरण के बारे में सम्बंधित तहसील विधूना की आख्या के अनुसार अवैध खनन नहीं किया गया है, साथ ही साथ यह भी पाया कि श्री दीप नरायण पाल का मलिकाना हक उक्त भूमि पर नही है। जिसकी छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गई जानकारी चाही गई है का निस्तारण कराये जाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(एम0के0सारस्वत)
परियोजना प्रबंधक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला / आगरा।

(218)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांक: CNB/EN/Obj (AU)/Y-21 /M-1(02) दिनांकः– 28.01.2021

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
औरैया

विषय :– श्री दीपनरायण पाल, निवासी ग्राम–पाता, परगना बिधूना, जिला–औरया की शिकायत अवैध खनन की क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–1. जिलाधिकारी औरैया, का पत्रसं0–2134 / डीएलआरसी–जांच आख्या / 2020 दिनांक 21 दिसम्बर 2020
2. डी0एफ0सी0सी0 मुख्यालय द्वारा समूह महाप्रबन्धक / एलए एवं सेमू / ईसी0 द्वारा निर्गत पत्र सं0 HQ/PG/TDL/3/2017 date 04.09.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र–1 तथा उसके संलग्नक का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिलाधिकारी, महोदय औरैया, के कार्यालय के पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2020 प्रार्थी श्री दीपनरायण पाल द्वारा गाटा सं0 718 के अवैध खनन की शिकायत तथा टाटा–एलडिसा कम्पनी द्वारा खेत में अवैध खनन का क्षतिपूर्ति /मुआवजा की मांग की गई हैं, पर विभाग द्वारा सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों का अध्यनन करने के उपरान्त विस्तृत जानकारी आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

1. इस सम्बन्ध में अवगत कराना कि तहसीलदार बिधूना जनपद–औरैया द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट दिनांक 02.05.2017 के अनुसार, TATA-ALDSA (JV) द्वारा गाटा सं0 718मि0 में अवैध रूप से मिट्टी खोदे जाने के मौके पर जॉच करने के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम–पाता, परगना बिधूना, जनपद–औरैया का गाटा सं0 718मि0 का रकबा बृहद हैं। जिसमें कुछ खातेदारों की कब्जा के आधार पर तरमीम हैं व कुछ कब्जा तरमीम नहीं हैं। मौके पर महेश कुमार की 0.405हे0 की मिट्टी खोदी गई है व नक्शा के अनुसार सही खुदाई हुई हैं, व आवेदक की मौके पर कोई खुदाई नहीं हुई हैं। **(रिर्पोट दिनांक 02.05.2017 की छायाप्रति संलग्न)**

2. उक्त प्रकरण की विभागीय स्तर पर, जॉच करने के उपरान्त यह पाया गया कि **"TATA-ALDSA (JV) द्वारा निर्धारित एंव अनुमोदित क्षेत्रफल से अधिक रकबे पर खनन किया गया हैं परन्तु सम्बन्धित तहसीलदार, बिधूना की आख्या के अनुसार, अवैध खनन नहीं किया गया हैं।"** साथ ही साथ यह भी पाया कि श्री दीप नरायण पाल का मालिकाना हक उक्त भूमि पर नहीं हैं।

3. डी0एफ0सी0सी0 मुख्यालय द्वारा समूह महाप्रबन्धक / एलए एवं सेमू / ईसी0 द्वारा निर्गत पत्र सं0 HQ/PG/TDL/3/2017 date 04.09.2017 के अनुसार, गाटा सं0 718मि, ग्राम–पाता, परगना बिधूना, जनपद–औरैया, के बृहद होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि किस व्यक्ति की भूमि का खनन हुआ हैं क्योंकि इस गाटे में कई भूस्वामियों का अंश हैं। अतएव राजस्व विभाग / जिला प्रशासन से यह सुनिश्चित होने पर किसकी भूमि से मिट्टी का खनन हुआ है, ऐसे पात्र भूस्वामी / भूस्वामियों को शासन के

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in

उचित दिशा निर्देश के अनुसार क्षतिपूर्ति का मुआवजा कार्यदायी संस्था TATA-ALDSA (JV) द्वारा देय होगा।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करे।

संलग्नक:–यथोक्तानुसार।

28/1/2021

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक (ईजी0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 / कानपुर।

प्रतिलिपि:–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), औरैया को सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,टुण्डला को सूचनार्थ।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टाटा–एलडिसा (जे0वी0) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. M/s, SAI-TYPSA (JV) Etawah को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in